

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त संयुक्त विकास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:- 236 / बैठक सेवा / 2013

दिनांक 02 जुलाई, 2013

विषय:- शासन के विकास एजेण्डा 2013-14 में सम्मिलित ग्राम्य विकास विभाग के कार्यक्रमों की मासिक प्रगति रिपोर्ट ई-मेल से प्रेषित करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के पत्र संख्या-1475/31-2013-20/2012-टी0सी0-1, दिनांक 28.06.2013 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न ग्राम्य विकास विभाग से संबन्धित प्रारूपों पर रिपोर्ट प्रेषित किए जाने की अपेक्षा की गई है। आप अवगत ही हैं कि इस कार्यालय द्वारा प्रत्येक माह की 6 तारीख को संकलित रिपोर्ट शासन के ग्राम्य विकास विभाग एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को प्रस्तुत करनी होती है, जिसका संकलन दिनांक 5 तारीख तक किया जाना होता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मण्डल स्तर से संकलित रिपोर्ट संयुक्त विकास आयुक्त द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख को अपरान्ह 4:00 बजे तक ई-मेल crd-up@nic.in पर प्रत्येक स्थिति में मेल करना सुनिश्चित करें। प्रत्येक मण्डल के अधीन आने वाले जनपद 4 तारीख तक रिपोर्ट संयुक्त विकास आयुक्त को उपलब्ध करायेंगे, जिससे ससमय संकलित रिपोर्ट इस कार्यालय को प्राप्त हो सके। यह विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि जो आंकड़े/सूचना कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को प्रेषित की जाए वही आंकड़े/सूचना इस कार्यालय को भी सूचित की जाए। यह भी विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि आंकड़ों एवं निर्धारित समय के संबंध में कोई व्यतिक्रम न किया जाए।
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(के0 रविन्द्र नायक),
आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांक:- / / 2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3-समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(के0 रविन्द्र नायक),
आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त संयुक्त विकास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:- / / 2013

दिनांक 02 जुलाई, 2013

विषय:- शासन के विकास एजेण्डा 2013-14 में सम्मिलित ग्राम्य विकास विभाग के कार्यक्रमों की मासिक प्रगति रिपोर्ट ई-मेल से प्रेषित करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के पत्र संख्या-1475/31-2013-20/2012-टी0सी0-1, दिनांक 28.06.2013 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न ग्राम्य विकास विभाग से संबन्धित प्रारूपों पर रिपोर्ट प्रेषित किए जाने की अपेक्षा की गई है। आप अवगत ही हैं कि इस कार्यालय द्वारा प्रत्येक माह की 6 तारीख को संकलित रिपोर्ट शासन के ग्राम्य विकास विभाग एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को प्रस्तुत करनी होती है, जिसका संकलन दिनांक 5 तारीख तक किया जाना होता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मण्डल स्तर से संकलित रिपोर्ट संयुक्त विकास आयुक्त द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख को अपरान्ह 4:00 बजे तक ई-मेल crd-up@nic.in पर प्रत्येक स्थिति में मेल करना सुनिश्चित करें। प्रत्येक मण्डल के अधीन आने वाले जनपद 4 तारीख तक रिपोर्ट संयुक्त विकास आयुक्त को उपलब्ध करायेंगे, जिससे ससमय संकलित रिपोर्ट इस कार्यालय को प्राप्त हो सके। यह विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि जो आंकड़े/सूचना कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को प्रेषित की जाए वही आंकड़े/सूचना इस कार्यालय को भी सूचित की जाए। यह भी विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि आंकड़ों एवं निर्धारित समय के संबंध में कोई व्यतिक्रम न किया जाए।
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(के0 रविन्द्र नायक),
आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांक:- 236 / बैठक श्रेणी / 2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3-समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(के0 रविन्द्र नायक),
आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।